

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2095

31 जुलाई, 2018 को उत्तर के लिए

os jgkmfl x tku dk fodkl

2095. MkW mfnr jkt%

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत वेयरहाउसिंग जोन/लॉजिस्टिक्स के विकास की कोई योजना है जैसाकि दिल्ली में अगले डेढ़ दशकों के दौरान 1.6 मिलियन आवासीय यूनिटों की मांग का अनुमान है और दिल्ली राज्य उत्तरी और दक्षिण राज्यों के बीच वस्तुओं में व्यापार के लिए एक ट्रेडिंग हब और ट्रान्स-शिपमेंट केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लॉजिस्टिक्स व्यापार वितरण/ पुनर्वितरण के 'हब और स्पोक' मॉडेल के आधार पर फलता-फूलता है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए किसी जोन/क्षेत्र को विकास के लिए चिन्हित किया जाता है; और

(घ) क्या दिल्ली के भीतर संगम क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे यातायात के साधन जैसे सड़क, रेल, वायुयान, मेट्रो और स्थानीय परिवहन में समागम विकसित हो और यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क)से(घ): दिनांक 07.02.2007 को अधिसूचित दिल्ली मुख्य योजना-2021 (एमपीडी-2021) में अध्याय 6 में भंडारण (थोक व्यापार) के लिए प्रावधान है। एमपीडी-2021 की सारणी 6.1 में दिए गए कुछ मौजूदा नियोजित थोक मार्किट, भंडारण और परिवहन केन्द्र निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्थान	वस्तु
1.	आजादपुर	फल और सब्जी
2.	ओखला	फल और सब्जी
3.	केशोपुर	फल और सब्जी
4.	नरायणा	लोहा और इस्पात
5.	संजय गांधी परिवहन केन्द्र	परिवहन/भंडारण
6.	रोहतक सड़क परिवहन केन्द्र	परिवहन/भंडारण

7.	नरेला	खाद्यान
8.	नजफगढ़	खाद्यान
9.	कीर्ति नगर	लकड़ी

दिल्ली मुख्य योजना-2021 में सड़क और रेल द्वारा माल ले जाने के एकीकरण हेतु एकीकृत माल भाड़ा परिसर (आईएफसी) के लिए भी प्रावधान है। इसमें थोक मार्किट, भंडारण, ट्रकों के लिए सड़क एवं रेल परिवहन टर्मिनल शामिल होंगे ताकि शहर के अंतर्गत भारी वाहनों का आवागमन कम हो सके। आईएफसी ऐसे स्थानों पर होना चाहिए जहां वे दिल्ली में क्षेत्रीय माल वाहन प्रवेश को रोक सकें। एमपीडी-2021 में दिल्ली में माल वाहन आवागमन के आधार पर आईएफसी के लिए निम्नस्थानों के लिए प्रावधान है:

- I. मदनपुर खादर (एनएच-2)
- II. गाज़ीपुर (एनएच-24)
- III. नरेला(एनएच-1)
- IV. द्वारका (एनएच-8)
- V. शहरी विस्तार(रोहतक रोड), टिकरी कलां में नया स्थान।
